फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम जे०डी०ए०

नाम न्यायालय

केस संख्या 56/23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उप० पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी [illegible] हेतु दिनांक 10/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)
	10/6/24	पत्रावली [illegible] साहाब के [illegible] रहने/ [illegible] द्वारा [illegible] करने के कारण [illegible] की जा सक [illegible] 2/7/24
	2/7/24	[illegible] अभिभाषक संघ द्वारा [illegible] र किये जाने के आज [illegible] की जा सकी। कार [illegible] में व्यस्त हैं। पी० [illegible] 30/7/24 अत: [illegible]
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उप० नहीं। वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधि० को बार-बार आवाज लगवाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251(क) अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1

Reader of SDO-II to report
18/5/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 29/2023 56/23

बाबूलाल पुत्र जोधाराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम दहमींकला, पटवार हल्का दहमींकला, भू. अभि. नि. क्षे ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिय सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जे.एल.एन. मार्ग जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.......अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मान्यवर जी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

1 यह कि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 1.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.28 हैक्टयर,, खसरा नम्बर 93/2544 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 94/2543 रकबा 0.29 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टयर ग्राम दहमींकला, पटवार हल्का दहमींकला, भू. अभि. नि. क्षे ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है।

बाबूलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:06:57 IST
Reason: SelfAttested